सं. 11013/7/2008-स्था(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लाक,

नई दिल्ली

दिनांक 6 अक्तूबर, 2008

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली, 1964-सरकारी यात्रा के लिए खरीदी गई टिकटों पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा अर्जित माईलेज पाइंटस का उपयोग किए जाने की अनुमति ।

विभिन्न एयरलाइनों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा मुफ्त सहयात्री टिकटों की स्वीकृति के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 5.3.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/97-स्था (क), दिनांक 19.8.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/97-स्था (क), और दिनांक 15.9.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/97-स्था (क) द्वारा जारी अनुदेशों का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की शिफारिशों के अनुसरण में यात्रा भत्ता नियमों को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा निम्नानुसार संशोधित कर दिया गया है :-

"अब से सरकारी यात्रा के लिए खरीदी गई टिकटों पर सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित माईलेज पाइंटस का उपयोग, संबंधित विभाग द्वारा उसके अधिकारियों की अन्य सरकारी यात्रा के लिए किया जाएगा । इन माईलेज पाइंटस के गैर सरकारी यात्रा के उद्देश्य से किसी भी प्रकारी के उपयोग किए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी । यह सुनिश्चत करना है कि सरकारी यात्रा जो सरकारी द्वारा वित्त पोषित होती है से होने वाले लाभ भी सरकार को ही मिलने चाहिए । "

2. यात्रा भत्ता नियमावली में उपर्युक्त संदर्भित संशोधन के मद्देनजर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.3.1997, 19.8.1997 और 15.9.1999 के लिए उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में विहित अनुदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे कि सरकारी दौरे/यात्रा के संबंध में अर्जित माईलेज पाइंटस का उपयोग, सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मुफ्त सहयात्री टिकटों अथवा अन्य किसी लाभ

के रूप में गैर सरकारी यात्रा के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा । इसका उल्लंघन किए जाने पर सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में ला दे ।

पी प्रभाकरन

(पी.प्रभाकरन)
भारत सरकार के उप सचिव

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रेषित प्रति

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय ।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. केन्द्रीय सर्तकता आयोग, नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
8. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
9. सभी राज्यों/संघ प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य सचिव ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से संबद्ध सभी कार्यालय ।

(200 अतिरिक्त प्रतियां)